बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/विविध (गया) 07–04/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध सोशल मिडिया पर परिमार्जन हेतु रिश्वत लेने संबंधी वायरल विडियों के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया द्वारा जाँच के क्रम में आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों के बयान के आधार पर दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री राकेश कुमार, तत्कालीन नवप्रोनन्त, राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी को विभागीय संकल्प सं0–809(15), दिनांक–23.05.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(i) के प्रावधानों के तहत भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा निर्धारित किया गया।

2. समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–3466/रा0, दिनांक–04.07.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1671(15), दिनांक–09.09.2025 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन दिनांक–18.09.2025 से विभाग में समर्पित किया गया। आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसकी वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०–515(15) दिनांक–10.04.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, गया को जाँच/संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं संचालन पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

3. श्री कुमार द्वारा अपने निलंबन अवधि में देय जीवन–निर्वाह भत्ता की बढ़ोतरी के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक–10.03.2026 विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें आर्थिक कठिनाईयों का सामना किये जाने एवं निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक होने की बात अंकित की गयी है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(1)(i) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार के जीवन–निर्वाह भत्ते में बढ़ोतरी के मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री कुमार के जीवन–निर्वाह भत्ता की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राकेश कुमार, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त का कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा के जीवन–निर्वाह भत्ते की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

कृ0पृ0उ0

D:\ashish 2026\sankalp\Rakesh kr_RO_Barchatti, Gaya_50 % se 75 %.doc

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक– 15/विविध (गया) 07–04/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/समाहर्त्ता, गया एवं सारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया एवं सारण/श्री राकेश कुमार, निलंबित राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त का कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 15/विविध (गया) 07–04/2025– 882 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 18.06.26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान)
विशेष सचिव।

D:\ashish 2026\sankalp\Rakesh kr_RO_Barchatti, Gaya_50 % se 75 %.doc